न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 23/2022/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 8.3.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

बाबूलाल पुत्र गोपाल जाति गोस्वामी नि0 कल्याणपुरा तह0 व जिला बांरा (मृतक) जरिये का0 मुका0–
1/1–अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल जाति गोस्वामी
1/2–पवन कुमार पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल जाति गोस्वामी
1/3– पन्सू बाई बेवा स्व0 श्री बाबूलाल जाति गोस्वामी
निवासीगण कल्याणपुरा तहसील व जिला बांरा (राज0)
1/4– ममता पुत्री पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल पत्नि श्री रामस्वरूप जाति गोस्वामी निवासी सिरसोद तह0 व जिला बांरा ।
1/5– संजू पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल पत्नि विजेन्द्र जाति गोस्वामी निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
1/6– सुनीता पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल पत्नि लोकेन्द्र जाति गोस्वामी निवासी बाजून्दा तहसील मांगरोल जिला बांरा।

...अपीलार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बांरा जिला बांरा। (राज0)

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक–अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पोडेन्ट

::निर्णय::

दिनांक 1.5.2024

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांरा जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 15/2012 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बउनवान बाबूलाल (मृतक) जरिये का0 मु0 अशोक कुमार वगेरा बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बांरा मे पारित निर्णय दिनांक 24.2.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 75 के अन्तर्गत न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थनाा पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चुरेलिया तह0 बांरा के हाल ख0 नं0 83 रकबा 1.40 है0, ख0 नं0 130 रकबा 0.76 है0, ख0 नं0 131 रकबा 0.57 है0 कुल 3 किता रकबा 2.73 है0 आराजी स्थित है जिसके साबिक ख0 नं0 33 रकबा 16 बीधा 15 पर दादा गेन्दीलाल का तथा उनकी मृत्यु के उपरांत अपीलार्थीगण के पिता गोपाल का काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से लम्बा कब्जा होने के उपरांत उक्त आराजीयात को दिनांक 1.7.1963 को माफी रिज्यूम कर धारा 15 राज0 काश्तकारी अधिनियम

के अन्तर्गत गोपाल के खातेदारी अधिकार प्रोदभुत होने से खातेदारी अधिकार प्रदान कर इन्तकाल नं0 69 दिनांक 26.5.1964 से राजस्व रिकार्ड मे खाते दर्ज हुई। गोपाल का देहावसान होने पर जर्ये फौती नामा0 नं0 152 दिनांक 14.6.1981 से खातेदार मृतक गोपाल के वारिसान पुत्र बाबूलाल व बेवा गोपाली बाई एंव पुत्रियां पुष्पाबाई मोहनीबाई रामपयारी बाई के नाम खाते दर्ज हुई। जिस पर उसके पिता के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो0 ने राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 2 (4) राज.4/98/37 दिनांक 13.12.1991 की गलत व्याख्या कर उक्त आराजी से अपीलार्थी व उसकी बहिनो व माता का नाम खाते से विलोपित कर मंदिर श्री माताजी का नाम खाते दर्ज कर लिपिकीय भूल की है जिसे अपीलार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अतः लिपिकीय भूल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड मे मंदिर श्री माताजी के नाम को विलोपित कर राजस्व रिकार्ड की पूर्व स्थिति बाहाल की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण कस नाम सेटलमेट द्वारा विलोपित नही करने एंव राज्य सरकार के आदेश की पालना मे नाम विलोपित किये जाने से प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यो पर पेश करने से निर्णय दिनांक 24.2.2020 से खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रथम अपील राज0 भू राजस्0 अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट निरस्त करने मे विधि एंव तथ्यो की अनदेखी की है। परिपत्र दिनांक 24.5.2007, 25.11.2011 , 19.9.2018 के दिशा निर्देशो को अनदेखा कर मात्र तहसीलदार बांरा के विधिविहीन जवाब को आधार बनाकर मनमाना निर्णय किया है। प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2009–2010 (सुप्रीम) पेज 291 को अनदेखा किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य जेरअपील निर्णय 24.2.2020 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे अपील के तथ्यों को ही दोहराया तथा प्रकट किया कि आलौच्य जेरअपील निर्णय 24.2.2020 पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजात, परिपत्रों एंव न्यायिक दृष्टान्तो तथा राज0 भूमि सुधार जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत होने से विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने परिपत्र दिनांक 24.5.2007, 25.11.2011, 19.9.2018 के दिशा निर्देशो को अनदेखा कर मात्र तहसीलदार बांरा के विधि विहीन जवाब को आधार बनाकर तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2009–2010 (सुप्रीम) पेज 291 को अनदेखा कर मनमाना निर्णय किया है जो विधि विरूद्ध होने से काबिज निरस्तनीय है अन्त मे अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2009–2010 (सुप्रीम) पेज 291 का उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय 24.2.2020 निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मंदिर की है तथा राज्य सरकार के परिपत्र 1991 के अनुसार मंदिर की भूमि मूर्ति के नाम रखने व पुजारी का नाम हटाने जाने के राज्य सरकार के आदेश की पालना मे मंदिर की भूमि मंदिर मूर्ति के नाम ही रखे जाने का प्रावधान है। माफी मंदिर की भूमि पर किसी को खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नही है। बहस मे यह भी बताया कि धारा 136 एलआरएक्ट मे लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। यह प्रकरण लिपिकीय त्रुटि का नही है ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र धारा 136 ही मेन्टेनऐबल नही होने से अपील प्रकरण मे अपीलार्थी विधिक तोर पर कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः अपील निराधार तथ्यों पर आधारित है। खारिज की जावे।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस उभय पक्षकार पर मनन किया तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्याायिक उद्धरण आरआरटी 2009–2010 (सुप्रीम) पेज 291 पर गौर किया। विवादित आराजी वर्तमान मे मंदिर माताजी विराजमान सा0 देह के खाते दर्ज है। अपीलार्थीगण के पिता का नाम जमाबंदी सं0 2033–36 बतोर पुजारी दर्ज था। इससे पहले आराजी अपीलार्थीगण के पिता के खाते मे दर्ज हो गई किन्तु राज्य सरकार के आदेश परिपत्र 1911 मे यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि

आराजी पूर्व मे किसी मंदिर/मूर्ति आदि के खाते मे रही हो उसे वापस मूर्ति/मंदिर के खाते दर्ज किया जावे। उक्त आदेश की पालना मे अपीलार्थीगण का नाम विलोपित कर मंदिर माताली के खाते मे दर्ज किया गया। मंदिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से मंछिर/मूर्ति की भूमि पर किसी को भी कोई अधिकार प्राप्त नही होते है तथा ना ही किसी का कब्जा वैधानिक माना जा सकता। वादग्रस्त आराजी मंदिर/मूर्ति की भूमि होने से राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 2 (4) राज.4/98/37 दिनांक 13.12.1991 की पालना मे अपीलार्थीगण का नाम विलोपित किया गया है ना कि सेटलमेट द्वारा कोई लिपिकीय त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थीगण द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एलआरएक्ट अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही होने से अपीलार्थीगण हस्तगत अपील प्रकरण मे कोई विधिक अनुतोष प्राप्त करने अधिकारी नही है क्योंकि राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत 'भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा, जिसका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे। प्रश्नगत प्रकरण लिपिकीय त्रुटि का नही है तथा सेटलमेट द्वारा कोई लिपिकीय त्रुटि कारित की जाना प्रकट नही है बल्कि वादग्रस्त आराजी मंदिर/मूर्ति की भूमि होने से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की पालना मे अपीलार्थीगण का नाम विलोपित किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक मे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2009–2010 (सुप्रीम) पेज 291 प्रश्नगत प्रकरण मे चस्पा नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट निराधार तथ्यो पर पेश करने से निर्णय दिनांक 24.2.2020 से खारिज किया है जिसमे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 1.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा